95

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 34/2022 बउनवानी राकेश कुमार मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी एफ.सी.आई. गोदाम रोड़ रिको इन्डस्ट्री एरिया सालोदा गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/60

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 03.1.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. दिनांक 15.10.2020 से 31.10.2020 तक की अवधि के दौरान की उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे जिसमे सभी कार्मिको(पटवारियों)/अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हो , यदि अलग–अलग रजिस्टर संधारित है तो सभी की सूचना उपलब्ध करावे।
2. दिनांक 15.10.2020 से 31.10.2020 तक की अवधि के दौरान के पत्र प्राप्ति रजिस्टर (रिसीप्ट रजिस्टर) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। जितने भी रिसीप्ट रजिस्टर संघारित है सभी की अलग–अलग प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
3. दिनांक 15.10.2020 से 31.10.2020 तक की अवधि के दौरान कार्यालय पर पदस्थापित रहे समस्त अधिकारी/कर्मचारियों (पटवारियों के नाम पद की सूचना से अवगत करावें
4. दिनांक 15.10.2020 से 31.10.2020 तक की अवधि के दौरान की अवधि के दौरान अन्य विभागों से जो पत्र/तहरीर/आदेश आदि कार्यालय मे प्राप्त उनकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
5. दिनांक 15.10.2020 से 31.10.2020 तक की अवधि के दौरान आपके कार्यालय से किसी अधिकारी/कर्मचारी (पटवारियों) को राजकीय कार्य से अन्य सरकारी विभाग रवाना किया गया हो तो उन कार्मिको के रिलीव आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
6. दिनांक 15.10.2020 से 31.10.2020 तक की अवधि के दौरान आपके कार्यालय से रवाना किये गये कार्मिको को अन्य विभाग द्वारा बाद राजकीय कार्य के वापिस स्वंय के कार्यालय रवाना किये जाने पर कार्मिक को दिये गये उपस्थिति प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक आरटीआई/ अपील/ 2022/4206 दिनांक 18.4..2022 से अपीलान्ट को रिसीप्ट, डिस्पेज एवं उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति कुल 82 पृष्ठो मे उपलब्ध करवायी जा चुकी है। उक्त भिजवायी गयी सूचना में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 3.1.2022 के बिन्दु संख्या 1 2,3,4,5,6 की सूचना समाहित है। इस प्रकार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.1.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चु[illegible]न्दु संख्या 4 की सूचना के लिए अपीलान्ट रिसिप्ट रजिस्टर का अवलोकन कर वांछित प[illegible] बिन्दु संख्या 5 की सूचना के लिए डिस्पेज रजिस्टर का अवलोकन कर वांछित आदेश/पत्र की [illegible]त सूचना तहसील कार्यालय मे सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है। तहसील[illegible] जाता है [illegible]न्दु संख्या 6 की सूचना के संबंध में अपीलान्ट [illegible] से अवगत करवाया [illegible] उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:19:35 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर